



वित्त मंत्रालय

23 अक्टूबर, 2017 तक जीएसटी राजस्व संग्रह राशि 92,150 करोड़ रुपये तक पहुंची

Posted On: 24 OCT 2017 7:33PM by PIB Delhi

अगस्त एवं सितंबर, 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी फाइल करने पर विलंब शुल्क से छूट

23 अक्टूबर, 2017 तक जीएसटी राजस्व संग्रह राशि

सितंबर, 2017 महीने के दौरान विभिन्न शीर्षों (23 अक्टूबर, 2017) के तहत भुगतान किये गये जीएसटी के कुल राजस्व की राशि 92,150 करोड़ रुपये रही है। सीजीएसटी के कुल राजस्व की राशि 14,042 करोड़ रुपये, एसजीएसटी के राजस्व की राशि 21,172 करोड़ रुपये, आईजीएसटी के राजस्व की राशि 48, 948 करोड़ रुपये (जिसमें से सितंबर, 2017 में आयातों से आईजीएसटी 23,951 करोड़ रुपये रहा) और क्षतिपूर्ति से 7988 करोड़ रुपये (जिसमें से सितंबर, 2017 आयातों से क्षतिपूर्ति से 722 करोड़ रुपये रहा)।

सितंबर, 2017 के लिए फाइल जीएसटीआर 3बी रिटर्न की कुल संख्या 42.91 लाख (23.10.2017 तक की जानकारी के अनुसार) रही।

सितंबर, 2017 महीने के लिए जीएसटी के भुगतान तथा जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, 2017 थी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था पहली जुलाई, 2017 को लागू की गई थी।

अगस्त एवं सितंबर, 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी फाइल करने पर विलंब शुल्क से छूट

रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया के दौरान करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं को देखते हुए तथा करदाताओं को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने अगस्त एवं सितंबर, 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी फाइल करने पर विलंब शुल्क से छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए आईटी प्रणाली में आवश्यक सॉफ्टवेयर बदलाव किये जा रहे हैं।

जिन करदाताओं ने पहले ही अगस्त या सितंबर 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी फाइल करने पर विलंब शुल्क जमा कर दिया है उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र या जो आईटी प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने से पहले ऐसे शुल्क का भुगतान करते हैं, को उनके द्वारा अदा किये गये विलंब शुल्क की राशि उनको वापस कर दी जाएगी।

वीएल/एसकेजे/वाईबी-5167

(Release ID: 1506904) Visitor Counter : 7

